भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2804

जिसका उत्तर दिनांक 10.07.2019 को दिया जाना है

परमाणु बीमा पूल

2804. श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में लंबित परियोजनाओं के कार्य में शीघ्रता लाने हेतु परमाणु बीमा पूल स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे नई परियोजनाएं आरंभ करने में किस तरह से सहायता मिलेगी; और

(ग) वर्ष 2020 के लिए क्या लक्ष्य तय किए गए हैं और आज की तिथि तक इसमें कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) सरकार, 12 जून 2015 को पहले ही भारतीय नाभिकीय बीमा पूल (आईएनआईपी) का सृजन कर चुकी है ।

(ख) मेसर्स जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी-आरई) ने अन्य कई भारतीय बीमा कंपनियों के साथ, 'नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम 2010' के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों को शामिल करते हुए बीमा प्रदान करने के लिए रुपए 1500 करोड़ की क्षमता वाला भारतीय नाभिकीय बीमा पूल (आईएनआईपी) आरम्भ किया है । इसने, 'नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम' से संबंधित मुद्दों का समाधान करते हुए, नई नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कार्य आरम्भ करने की दिशा को सुगम किया है ।

(ग) वर्तमान नाभिकीय विद्युत क्षमता, 22 रिएक्टरों से कुल मिलाकर 6780 मेगावाट है । कुल 6700 मेगावाट की क्षमता वाले 9 रिएक्टर (भाविनी द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे 500 मेगावाट पीएफबीआर सहित) निर्माणाधीन हैं । वर्ष 2017 में सरकार ने, कुल 9000 मेगावाट क्षमता वाले 12 नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए भी, प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्रदान की है । उनके क्रमिक रूप से पूरा होने पर, वर्ष 2020 तक संस्थापित नाभिकीय क्षमता 8180 मेगावाट और वर्ष 2031 तक 22480 मेगावाट पहुंचने की आशा है ।

****